प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 26.07.2025

- **थाना बरौर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसला कर ले जाने वाले 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना बरौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 29/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस में वांछित था अभियुक्त।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना बरौर पर वादी श्री शिव कुमार सचान पुत्र सुरेश चन्द्र सचान निवासी ग्राम अनंतापुर, थाना बरौर, जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 24.07.2025 को दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 29/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सागर सचान पुत्र स्व0 राजेश उर्फ कल्लू निवासी ग्राम व पोस्ट गुरूगांव थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात हाल पता ग्राम मकरंदापुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात को मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 24.07.2025 को समय 23.05 बजे डोभा से हाईवे को जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

1. सागर सचान पुत्र स्व0 राजेश उर्फ कल्लू निवासी ग्राम व पोस्ट गुरूगांव थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात हाल पता ग्राम मकरंदापुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 29/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना बरौर कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना बरौर पुलिस।